पत्रांक–03 / नमामि गंगे–06–10 / 2018– / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **विश्व बैंक सम्पोषित (NGRBA NMCG के अधीन) के अधीन स्वीकृत विभिन्न STP एवं Sewerage Network योजना के निर्माण हेतु राज्यांश की राशि 44.00 करोड़ रू0 (चौवालिस करोड़ रू0 मात्र) वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत ।**

विश्व बैंक सम्पोषित (NGRBA NMCG के अधीन) के अधीन स्वीकृत विभिन्न STP एवं सिवरेज योजना के निर्माण हेतु स्वीकृत परियोजना की लागत व्यय पर अनुपातिक राज्यांश की व्यय की प्रशासनिक स्वीकृत राज्य मंत्रिपरिषद से प्राप्त है। उक्त सभी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि विमुक्त किया जाना आवश्यक है। स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु Mother Child Account का संधारण किया गया है। उक्त के आलोक में योजनाओं के लिए राज्यांश की राशि की निकासी किया जाना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश की राशि 44.00 करोड़ रू0 (चौवालीस करोड़ रू0 मात्र) वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत कुल राशि 44.00 करोड़ रू0 (चौवालीस करोड़ रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें जिनके द्वारा राशि की एकमुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में सचिवालय कोषगार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा Bihar State Ganga River Conservation Programme Management. Society. (BGCMS)-WB AP के युनियन बैंक ऑफ इंडिया एक्जिवीशन रोड, पटना के खाता संख्या 529602010005783, IFS Code UBINO552968 में अंतरित किया जाएगा जिसे आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन एजेंसी बुडको द्वारा Mother Child account के माध्यम से व्यय किया जाएगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98, 256 दिनांक–26.02.2019, 733 दिनांक–31.07.2019 एवं 7085 दिनांक–19.09.2018 के अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।

3. स्वीकृत राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि सहायक अनुदान है। इस राशि का व्यय विभिन्न STP एवं सिवरेज नेटवर्क योजनाओं के क्रियान्वयन पर किया जाएगा। राशि का व्यय क्रियान्वयन एजेंसी BUIDCO द्वारा किया जायेगा और UC भी कार्यान्वयन एजेंसी BUIDCO द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि की निकासी के लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित एवं महालेखाकार, बिहार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 बि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(40)

5. **बजट शीर्ष तथा बजट की उपलब्धता :–**

(i) स्वीकृत राशि 44.00 करोड़ में से रू0 39.00 करोड़ (उनचालीस करोड़ रू0 मात्र) मांग सं0–48 मुख्य शीर्ष – 2215 –जल पूर्ति तथा सफाई – उप मुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– उप शीर्ष–0303–राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड–48-2215027890303 विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान, 0303.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित 39.00 करोड़ (उनचालीस करोड़ रू0) में से विकलनीय होगा।

(ii) स्वीकृत राशि 44.00 करोड़ में से रू0 04.00 करोड (चार करोड़ रू0 मात्र) मांग सं0–48 मुख्य शीर्ष – 2215 –जल पूर्ति तथा सफाई – उप मुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई–लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उप योजना– उप शीर्ष–0305–राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड–**48–2215027960305** विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान, 0305.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित 04.00 करोड़ (चार करोड़ रू0) में से विकलनीय होगा।

(iii) स्वीकृत राशि 44.00 करोड़ में से रू0 01.00 करोड (एक करोड़ रू0 मात्र) मांग सं0–48 मुख्य शीर्ष – 2215 –जल पूर्ति तथा सफाई – उप मुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई–लघु शीर्ष–106–वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण उप शीर्ष–0302–राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड–48-2215021060302 विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित 01.00 करोड़ (एक करोड़ रू0) में से विकलनीय होगा।

6. राशि का व्यय विभिन्न STP एवं सिवरेज नेटवर्क योजना के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ–16/टि0 पर दिनांक–25.01.2020 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ–15/टि0 पर दिनांक–21.01.2020 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/नमामि गंगे–06–10/2018– /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/नमामि गंगे–06–09/2018– 206 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–28/1/2020
प्रतिलिपि:–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बुडको/अपर सचिव सह उप निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, NMCG, भारत सरकार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.01.2020

सरकार के विशेष सचिव।